कार्यालय अधीक्षण पुरातत्त्वविद्
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल, पूर्वायतन,
गोविन्द सारंग व्यवसायिक परिसर, (प्रथम तल), न्यू राजेन्द्र नगर,
रायपुर–492006, छत्तीसगढ़, टेलिफोन एवं फैक्स नं. 0771–4218483 & 4218484
ई–मेल : circlerai.asi@gmail.com
वेब साईट : www.asiraipurcircle.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Office of the Superintending Archaeologist
Archaeological Survey of India, Raipur Circle, Poorvayatan
Govind Sarang Commercial Complex, (1st Floor), New Rajendra Nagar,
Raipur-492006, Chhattisgarh
Telephone & Fax No.0771-4218483 & 4218484
E-Mail : circlerai.asi@gmail.com
Website: www.asiraipurcircle.in

फा0संख्या:13–1/15(67)/14–15/टीएस/ 136 to 144
F.No.13-1/15(67)/14-15/TS/

दिनांक/Dated 15 अप्रेल/April 2016

प्रति,

कलेक्टर,
जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

विषयः **प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के नियम 6 एवं नियम 44 में कतिपय संशोधन के संबंध में**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र फा0संख्या 13–1/15(67)/14–15/टीएस/49–57 दिनांक 08.04.2016, के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

02. विषयान्तर्गत के संबंध में भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग ।।–खण्ड–3 संख्या 240 दिनांक 01 अप्रेल 2016, सा.क.नि. 391(अ) जिसके तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा, टिकटेड केन्द्रीय संरक्षित स्मारक में प्रवेश शुल्क एवं केन्द्रीय संरक्षित स्मारक में फिल्म आदि के लिए शुल्क में वृद्धि के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति संलग्न इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके पास प्रेषित है।

03. अतः सादर निवेदन यह है कि इस पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु संगत कार्यवाही के लिए आपके अधीन संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

04. इस संबंध में आपका सहयोग सादर प्रार्थनीय है।

भवदीय,

15.4.16

(डॉ. दिलीप कुमार खमारी)
अधीक्षण पुरातत्त्वविद्

15/04/16

संलग्नः यथोक्त

प्रतिलिपि –

01.	मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।	– कृपया अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।
02.	सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।	– कृपया अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।
03.	सचिव, पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।	– कृपया अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।
04.	तहसीलदार तहसील–महासमुंद, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़।	– कृपया अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ। यह अनुरोध है कि इस पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
05.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़ ।	– कृपया अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ। यह अनुरोध है कि इस पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
06.	तकनीकी अनुभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल, रायपुर	– संदर्भित ई–मेल एवं अधिसूचना की प्रतिलिपियां के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
07.	मेसार्स नैवल प्राईवेट लिमिटेड 541–602 डगनिया, सीएसईबी कार्यालय के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़,	– कृपया संदर्भित ई–मेल एवं अधिसूचना की प्रतिलिपियां संलग्न है। साथ ही साथ यह अनुरोध है कि उक्त रिपोर्ट हमारी वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में जनसाधारण को सूचित किया जा सके।
08.	डप मंडल प्रभारी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण रायपुर उप मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	– संदर्भित अधिसूचना एवं भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किये गये आदेश फा0संख्या 09रु03/2012–एम दिनांक 13.04.2016 की प्रतिलिपियां के साथ सूचनार्थ। यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रतिलिपिया, इस कार्यालय के अधीन केन्द्रीय संरक्षित टिकटेड स्मारक के प्रमुख स्थान पर चिपकाया जाये एवं आदेश में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938
No. 240] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/CHAITRA 12, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सा.का.नि. 391(अ).—यतः भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिनांक 31 जुलाई, 2015 के सा.का.नि. 607(अ) में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप–धारा (1) के तहत अपेक्षानुसार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग–II, खण्ड–3, उप–खण्ड (II) दिनांक 31 जुलाई, 2015 के द्वारा कुछ नियमों के प्रारूप ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए गए थे जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी और नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियम, इन नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे और यतः उक्त राजपत्र को तदनुसार 31 जुलाई, 2015 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

और यतः जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अतः अब, केन्द्र सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः

नियम

(1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में,

(क) नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"6. प्रवेश शुल्क– पंद्रह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्मारक या उसके किसी हिस्से में :–

(क) द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में श्रेणी 'क' के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संस्मारक में निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर प्रवेश नहीं कर सकता:–

(i) भारत के नागरिक तथा सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक .... 30/–रू. प्रति व्यक्ति,

(ii) अन्य (उपरिल्लिखित देशों के नागरिकों के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिक) 500/– रू. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य (उपर्युक्त ii के अनुसार) .... 750/– रू. प्रति व्यक्ति;

बशर्ते कि उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए 750/रू. का टिकट वैकल्पिक है। यह टिकट धारक को महानिदेशक द्वारा समय–समय पर आदेशित यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार बनाएगा।

(ख) निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर द्वितीय अनुसूची के भाग ।। में श्रेणी 'ख' के रूप में निर्दिष्ट स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकता :–

(i) भारत के नागरिक और सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक .... 15/–रू0 प्रति व्यक्ति,

(ii) अन्य (उपरिल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए) .... 200/–रू. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य (उपर्युक्त (पप) के अनुसार) .... 300/– रू. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए 300/रू. का टिकट वैकल्पिक है। यह टिकट धारक को महानिदेशक द्वारा समय–समय पर आदेशित यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार बनाएगा।

आगे यह प्रावधान है कि 750/रू., 500/–रू. 300/–रू. और 200/–रू. के टिकट धारकों के लिए अलग कतार होगी।

(ख) नियम 44 में उप–नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः

"(1) नियम 43 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर महानिदेशक शुल्क अदा किए जाने पर निम्नलिखित रूप में लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं :

(क) विश्व विरासत स्मारकों में फिल्म बनाने के लिए 50,000/– रू. प्रत्यर्पणीय सुरक्षा जमा राशि सहित 1,00,000/रू.– प्रति दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक)

(ख) अन्य स्मारकों फिल्म बनाने के लिए 10,000/–रू. प्रत्यर्पणीय सुरक्षा जमा सहित 50,000/–रू. प्रति दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक)

व्यावसायिकों और अन्य एजेंसियों के मामलों में, यदि वे ऐसा समझते है कि मांगा गया लाइसेंस नहीं प्रदान करना चाहिए तो कारणों को अभिलेखित करते हुए लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं।

बशर्ते कि महानिदेशक, किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदरूनी भागों को अर्थात् किसी संरक्षित स्मारक के किसी ऐसे भाग को जो किसी प्रकार के वर्णन वाली छत से आच्छादित हो, फिल्माए जाने के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन यदि फिल्म का उद्देश्य शिक्षाप्रद हो या स्मारक की लोकप्रियता को बढ़ाना हो, तो लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

[फा. सं. 9/3/2012–एम]

राकेश तिवारी, महानिदेशक

फुट नोट : प्रधान नियम, दिनांक 15 अक्तूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में सा.आ. 2036 द्वारा पृ. 519–525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:

(i) संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
(ii) संख्या सा.का.नि. 663 दिनांक 1 मई, 1967
(iii) संख्या का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
(iv) संख्या सा.का.नि. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991
(v) संख्या सा.का.नि. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996
(vi) संख्या सा.का.नि. 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
(vii) संख्या सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
(viii) संख्या सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
(ix) संख्या का.आ. 10 (अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
(x) संख्या सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
(xi) संख्या सा.का.नि. 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
(xii) संख्या सा.का.नि. 37 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008 तथा
(xiii) संख्या सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

G.S.R. 391(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 were published as required under sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st July, 2015 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, number G.S.R. 607 (E), dated the 31st July, 2015 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft rules shall come into force after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette of these draft rules are made available to the public and whereas the said Gazette was placed in the public domain accordingly on the 31st July, 2015.

And whereas the objections/suggestions received from public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:-

Rules

(1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2016.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959,

(A) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Entrance fee : No person above the age of fifteen years shall enter into a protected monument or part thereof –

(a) specified as Category 'A' monuments in Part I of the Second Schedule except on payment of fees as under:-

(i) citizens of India and visitors from SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand), and overseas citizens of India...Rs.30/-per head;

(ii) others (All Nationals other than from countries mentioned above) Rs.500/- per head;

(iii) others (as ii above)..Rs.750/-per head.

Provided that the Rs.750/- ticket is optional for Nationals of countries other than mentioned in (i) above. This would entitle the ticket holder to additional facilities as specified by Director General, by order, time to time.

(b) specified as Category 'B' monuments in Part II of the Second Schedule, except on payment of fees as under:-

(i) citizens of India and visitors of SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand) and overseas citizens of India ....Rs.15/- per head;

(ii) others (All Nationals other than from countries mentioned above). Rs.200/- per head;

(iii) others (as ii above)..Rs.300/-per head.

Provided that the Rs.300/- ticket is optional for Nationals of countries other than mentioned in (i) above. This would entitle the ticket holder to additional facilities as specified by Director General, by order, time to time.

It is further provided that there would be separate queue for ticket holders of Rs.750/-, Rs.500/-, Rs.300/- and Rs.200/-".

(B). in the rule 44, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) On receipt of an application under rule 43, the Director General may grant a licence on payment of fees as under:-

(a) for filming of World Heritage monument Rs.1,00,000/- per day (sunrise to sunset) with Rs.50,000/- refundable security deposit;

(b) for filming of other monuments Rs.50,000/- per day (sunrise to sunset) with Rs.10,000/- refundable security deposit.

-in case of professionals and other agencies or, if he is satisfied that the licence asked for should not be granted, may, for reasons to be recorded, refuse to grant a licence:

Provided that the Director General shall not grant any licence to film the interior of any protected monument, that is to say such part of any protected monument as is covered by a roof of any description, except when the film is for the purpose of education or of publicizing the monument".

[F. No. 9/3/2012-M]

RAKESH TEWARI, Director General

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 2036, dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended vide:-

(i) S.O. 3520 dated the 20th November, 1966,
(ii) GS.R. 663, dated the 1st May, 1967,
(iii) S.O. 935, dated the 16th February, 1971,
(iv) GS.R. 90, dated the 30th January, 1991,
(v) GS.R. 306, dated the 10th July, 1996,
(vi) GS.R. 799(E), dated the 17th October, 2000,
(vii) GS.R. 800(E), dated the 17th October, 2000,
(viii) G.S.R. 848(E), dated the 3rd November, 2000,
(ix) S.O. 10(E), dated the 5th January, 2001,
(x) GS.R. 688(E), dated the 24th September, 2001,
(xi) GS.R. 372(E), dated the 30th April, 2003,
(xii) GS.R. 37(E), dated the 15th January, 2008, and
(xiii) GS.R. 631(E), dated the 13th August, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Mon / Rech / EC Sr. Supdt.
13/4/16

F.No.09/03/2012-M
Government of India
Archaeological Survey of India

Janpath, New Delhi
Dated: 13.4.2016

ORDER

Draft Rules to further amend Rules-6 of the AM&ASR Rules 1959 by enhancing the rate of entry fee at the centrally protected ticketed monuments which has been effective from 01.04.2016 as notified in the Gazette of India dated 31.3.2016. The enhancement of entry fee has been implemented with effect from 1st April, 2016. It has now been decided as proposed therein the tourist purchasing tickets of Rs. 750/- and Rs 300/- would be entitled for additional facilities. To implement the proposal, it has been decided that the above ticket holder would be provided the following facilities at the monuments.

1. One water bottle (500ml) per ticket.
2. A small Memento of the monument costing about Rs. 5 to 10 per ticket (such as picture postcard / keychain /bookmark etc.)
3. One CD (containing 10-15 photographs of the monuments)

Necessary approvals in the regard may be obtained and all codal formalities shall be followed.

This issues with approval of Director General ASI vide Dy No. 1125 dated 31.3.2016.

12/04/16

(T.J. Alone)
Director (monuments-II)

To

Superintending Archaeologists and I/C
All Circles /Mini Circles

Inward Dy. No. 130
Dated 13/04/16
Archaeological Survey of India
Raipur Circle,C.G.